[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या. 41/2020-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 2020

सा.का.नि.......(अ)-आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)की धारा 44 की उपधारा (1)के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्तनियम कहा गया है) के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 198 (अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए उक्त अधिनियम कीधारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाते हैं।

(फा. सं.सीबीईसी-20/06/04/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार